

कार्यालय सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल

निविदा सं०/०४ /प्रबन्ध/ 1246 /2025-26 दिनांक : 27 नवम्बर, 2025
(प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, ओ०एम०आर०/ICR आवेदन पत्र, कटे-फटे टाट/बोरे, फोटोयुक्त आवेदन पत्र एवं रद्दी (स्वीप) 2025 हेतु ई-निविदा प्रपत्र)

निविदा प्रपत्र का मूल्य :- ₹० 300=00

जी०एस०टी० 18% :- ₹० 54=00

कुल मूल्य :- ₹० 354=00

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा वर्ष 2025 की प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं की रद्दी, ओ०एम०आर० आवेदन पत्र, कटे-फटे टाट/बोरे, फोटोयुक्त आवेदन पत्र एवं रद्दी (स्वीप) की बिक्री के प्रयोजन हेतु पुनः ई-निविदा उत्तराखण्ड निविदा की वेबसाइट www.uktenders.gov.in में दी गई शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है-

क्र० सं०	सामग्री का विवरण	अनुमानित भार (कुन्तल में)	कार्य पूर्ति प्रतिभूति धरोहर की धनराशि
1	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2025 में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी	635.50 कु०	₹० 2,50,000.00 (₹० दो लाख पचास हजार मात्र)
2	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2025 में प्रयुक्त फोटोयुक्त आवेदन पत्रों की रद्दी	05.00 कु०	
3	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2025 में प्रयुक्त ओ०एम०आर०/ICR आवेदन पत्र, गोपनीय-06 एवं गोपनीय-02 की रद्दी	10.00 कु०	
4	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2025 में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डलों के कटे-फटे टाट-बोरे इत्यादि	05.00 कु०	
5	अन्य रद्दी (स्वीप)	06.00 कु०	

- (A) ई-टेण्डरिंग की निर्धारित साइट पर अपनी दरें अपलोड करने की तिथि 27-11-2025 से 10-12-2025 तक
(B) निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय 10-12-2025 अपराह्न 05.00 बजे तक (बुधवार)
(C) तकनीकी एवं वित्तीय भाग की हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि व समय 11-12-2025 पूर्वाह्न 10.30 बजे तक (गुरुवार)
(D) निविदा के तकनीकी भाग खुलने की तिथि व समय 11-12-2025 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक (गुरुवार)
(E) वित्तीय भाग खोलने की तिथि 11-12-2025 तकनीकी निविदा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त

निविदा की प्रमुख शर्त :-

- क- निविदादाता के पास अधिकृत प्रमाणीकरण संस्था (Certifying Authorities) द्वारा निर्गत डी०एस०सी० (Digital Signature Certificate) होना अनिवार्य होगा तभी फर्म निविदा में प्रतिभाग कर सकती है।
- ख - निविदादाता द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की गई निविदा की हूबहू प्रतिलिपि पारम्परिक रूप में पृथक से हार्ड कापी भी सीलबन्ध लिफाफे में निर्धारित तिथि व समय पर परिषद् कार्यालय में जमा करनी होंगी। जो निविदादाता/फर्म www.uktenders.gov.in पर अपनी निविदाएं अपलोड नहीं करेंगी उनकी हार्ड कापी पर प्रस्तुत निविदा नियमानुसार स्वीकार नहीं की जायेगी।
- ग - निविदा के साथ निर्धारित धरोहर प्रतिभूति की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/पो०आ०एफ०डी०/एफ०डी०आर०/बैंक ड्राफ्ट के रूप में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल के पदनाम से बंधक बनाकर प्रस्तुत करनी होगी।
- घ - निविदा प्रपत्र की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ली जायेगी। बैंक ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल के पदनाम से, जो कि भारतीय स्टेट बैंक रामनगर, शाखा कोड 00701 (जनपद नैनीताल) में देय हो जमा करना अनिवार्य है, रामनगर से अन्यत्र बैंक शाखा का कदापि मान्य नहीं होगा।
- ङ- निर्धारित निविदा फार्म शुल्क की धनराशि ₹० 354.00 का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ अलग लिफाफे में पृथक से जमा करना होगा, तभी निविदा स्वीकार की जायेगी।
- च- निविदादाता फर्म को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उसके फर्म या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अथवा भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के तहत कोई दण्ड अथवा जाँच की प्रक्रिया गतिमान/विचाराधीन नहीं है। (स्व हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
- छ- नियत तिथि को राजकीय अवकाश घोषित होने की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
- ज- जिन फर्मों के तकनीकी भाग की निविदाएं स्वीकृत होंगी उन्हीं फर्मों की वित्तीय भाग की निविदाएं खोली जायेंगी।
- झ- परिषद् के सचिव को बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- ञ- ई-निविदा के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय बिडों को On Line Upload करने के लिए निविदा की विस्तृत नियम, निर्देश, शर्तें एवं आवेदन पत्र वेबसाइट www.uktenders.gov.in से Download कर सकते हैं।

कार्यालय सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल

(प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, ओ0एम0आर0/ICR आवेदन पत्र, कटे-फटे टाट/बोरे, फोटोयुक्त आवेदन पत्र एवं रद्दी (स्वीप) वर्ष 2025 हेतु ई-निविदा प्रपत्र)

तकनीकी सूचना (Technical Bid)

- 1- निविदादाता का नाम
निविदादाता/फर्म का पता
स्थायी पता
फोन नं0 कार्यालयमो0न0.....
ई-मेल आई0डी0
- 2- फर्म की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता जिसके द्वारा टेण्डर दिया गया (फर्म द्वारा प्रतिनिधि अधिकृत किये जाने की दशा में तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है)
- 3- फर्म के व्यापार कर, PAN,GST,TIN/CST NO. का रजिस्ट्रेशन संख्या एवं दिनांक तथा जनपद का नाम जहां रजिस्ट्रेशन करवाया गया सहित समस्त की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- 4- फर्म की रजिस्ट्रेशन संख्या एवं उसकी वैधता की तिथि (प्रतिलिपि संलग्न करें)
- 5- निविदादाता फर्म को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उसके फर्म या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अथवा भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के तहत कोई दण्ड अथवा जाँच की प्रक्रिया गतिमान/विचाराधीन नहीं है। (स्व हस्ताक्षरित संलग्न करें)
- 6- निविदादाता को अधिकृत फर्म/मिल (जिस फर्म/मिल के द्वारा प्रयुक्त रद्दी की लुग्दी बनायी जानी है) से लुग्दी बनाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 7- धरोहर/प्रतिभूति धनराशि का विवरण (रामनगर, जनपद- नैनीताल स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो)
 - राष्ट्रीय बचत पत्र/पो0आ0 एफ0डी0/एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक सहित.....
 - धनराशि अंकों में रु0..... शब्दों में रु0
 - बैंक का नाम व शाखा(मूल रूप में संलग्न करें)
- 8- निविदा प्रपत्र का मूल्य विवरण (भारतीय स्टेट बैंक रामनगर, शाखा कोड 00701 जनपद नैनीताल में देय हो) जो बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार होगा।
 - डी0डी0 नम्बर व दिनांक
 - धनराशि
 - बैंक का नाम व शाखा(मूल रूप में संलग्न करें)
मैंमैसर्स

का मालिक/.....प्रतिशत साझेदार/हिस्सेदार हूँ। इस निविदा की समस्त कार्यवाही को पूर्ण करने एवं समस्त औपचारिकता के प्रति मेरा पूर्ण उत्तरदायित्व है। उपरोक्त समस्त सूचना पूर्णतया सत्य है। इससे सम्बन्धित कोई सूचनाएँ छिपाई नहीं गई हैं। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं/हमारी फर्म उत्तरदायी रहेगी।

टेण्डरदाता का हस्ताक्षर

नाम -

फर्म की मुहर/पता-

मोबाइल नं0-

ई-मेल आई0डी0-

दिनांक.....

कार्यालय सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल

(प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी, ओ0एम0आर0/ICR आवेदन पत्र, कटे-फटे टाट/बोरे, फोटोयुक्त आवेदन पत्र एवं रद्दी (स्वीप) वर्ष 2025 हेतु ई-निविदा प्रपत्र)

वित्तीय सूचना (Financial Bid)

निविदादाता का नाम

फर्म का पता

फोन नं० कार्यालयमो०न०.....

ई-मेल आईडी0

आपके टेण्डर नोटिस की शर्तों के अनुसार प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं की रद्दी, प्रयुक्त ओ0एम0आर0/ICR आवेदन पत्र, कटे-फटे टाट/बोरे, फोटोयुक्त आवेदन पत्र एवं रद्दी (स्वीप) वर्ष 2025 हेतु सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाओं की रद्दी आदि की टेण्डर दरें निम्नवत् हैं:-

क्र० स०	सामग्री का विवरण	अनुमानित भार (कुन्तल में)	दरें एवं GST दर प्रति कुन्तल (अंकों एवं शब्दों में)			कुल धनराशि (3x6)
			दरें	GST दरें	(4+5) योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2025 में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी	635.50कु०				
2	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2025 में प्रयुक्त फोटोयुक्त आवेदन पत्रों की रद्दी	05.00 कु०				
3	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2025 में प्रयुक्त ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र, गोपनीय-06 एवं गोपनीय-02 की रद्दी	10.00 कु०				
4	हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा 2025 में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डलों के कटे-फटे टाट-बोरे इत्यादि	05.00 कु०				
5	अन्य रद्दी (स्वीप)	06.00 कु०				

साझेदारी फर्म का विवरण

1:- इंडियन पार्टनरशिप के अनुसार निबन्धन संख्या एवं वर्ष

2:- साझेदार का नाम व पता एवं आयु

3:- फर्म का निबन्धन पता

मैं टेण्डर नोटिस की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर समस्त वस्तुओं को उठा लूंगा। इसके अभाव में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये मेरे ठेके को निरस्त कर दें एवं जमानत राशि जब्त कर दें। वस्तुओं के मूल्य के साथ-साथ उसके प्रचलित दर पर GST भी नियमानुसार अलग से स्वयं वहन करूंगा।

निविदा की स्वीकृति होने के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने का वचन देता हूँ। इसके अभाव में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) को मेरे द्वारा निवेशित पूरी प्लेज्ड राशि जब्त करने तथा उचित आर्थिक दण्ड देने का अधिकार होगा।

टेण्डरदाता का हस्ताक्षर

नाम -

दिनांक.....

फर्म की मुहर/पता-
मोबाइल नं०-

आवश्यक प्रतिबन्ध तथा शर्तें

- 1— उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधित) 2025 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं की रद्दी, प्रयुक्त ओ0एम0आर0/ICR आवेदन पत्र, फोटो युक्त आवेदन पत्र, कटे फटे टाट/बोरे एवं अन्य रद्दी (स्वीप) से संबंधित टेण्डर अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय 10-12-2025 अपराह्न 05.00 बजे तक। तकनीकी एवं वित्तीय भाग की हॉर्ड कॉपी स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/वाहक द्वारा सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के नाम से जमा करने की अन्तिम तिथि 11-12-2025 पूर्वाह्न 10.30 बजे तक। निविदा के तकनीकी एवं वित्तीय भाग दिनांक 11-12-2025 पूर्वाह्न 11.00 बजे क्रमशः तकनीकी भाग पूर्ण होने पर वित्तीय भाग खोली जायेगी।
- 2— टेण्डर प्राप्त होने की निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले टेण्डर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 3— निविदादाता फर्म को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उसके फर्म या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अथवा भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के तहत कोई दण्ड अथवा जाँच की प्रक्रिया गतिमान/विचाराधीन नहीं है।
(स्व हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
- 4— निविदा में धरोहर प्रतिभूति की धनराशि रु0 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार मात्र) न्यूनतम निर्धारित की गयी है जिसे सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के नाम से प्लेज्ड कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा टेण्डर फार्म प्रथम दृष्ट्या अस्वीकृत कर दिया जायेगा। टेण्डर में भाग लेने वाली फर्म/संस्था/ठेकेदार को अपने टेण्डर में अंकित दरों के आंगणन आधार पर यदि उक्त धरोहर प्रतिभूति की धनराशि 10 प्रतिशत से कम होती है तो जिस निविदादाता फर्म की निविदा स्वीकृत होती है उन्हें अन्तर की अतिरिक्त धनराशि अनुबन्ध के समय सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के नाम से और प्लेज्ड करना अनिवार्य होगा। जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण करने की अवधि पूरी करने के दिवस से 60 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक होगा।
- 5— धरोहर प्रतिभूति की धनराशि जो प्रतिभूति राष्ट्रीय बचत पत्र/पो0आ0 एफ0डी0/एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जायेगी, सफल टेण्डरदाता फर्म की धरोहर धनराशि निविदा की शर्तों के अनुसार समस्त राजस्व धनराशि जमा कराने उपरान्त सम्पूर्ण माल उठा लेने के पश्चात वापस कर दी जायेगी। यदि वह आवश्यक शर्तों का उल्लंघन करता है या कार्य बीच में छोड़ेगा अथवा तोल में किसी प्रकार की विसंगति परिलक्षित होती है, तो सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर की सम्पूर्ण धनराशि या उसका कोई भाग सरकार के पक्ष में जब्त कर दे। इस सम्बन्ध में सचिव का निर्णय अन्तिम होगा तथा इसके विरुद्ध उन्हें/फर्म को न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा।
- 6— सफल टेण्डरदाता को नीलामी की सामग्री ले जाने हेतु वाहन लदान एवं तुलाई इत्यादि की व्यवस्था स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर वहन करनी होगी, इस हेतु परिषद से कोई भी व्यय देय नहीं होगा। माल तुलाई के लिये इकरारनामा में निर्धारित की गयी तिथि के अनुसार ही 15 से 20 दिन के अन्दर सम्पूर्ण माल सभी प्रतिबन्धों/शर्तों को पूरा कर उठा लेना होगा। सम्पूर्ण माल उठाने का कार्य पूर्ण हो जाने पर रद्दी एवं कार्य पूर्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर धरोहर प्रतिभूति की धनराशि नियमानुसार वापस करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 7— टेण्डर देने के लिये व्यापार कर कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य है। टेण्डर फार्म में व्यापार कर पंजीयन संख्या तथा उसकी वैधता की तिथि अवश्य अंकित की जाये तथा उसकी स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाय।
- 8— माल उठाने के पूर्व वस्तुओं के मूल्य के साथ-साथ उसके प्रचलित दर पर GST भी नियमानुसार अलग से टेण्डरदाता को स्वयं वहन करना होगा। इसके अतिरिक्त नगर पालिका रामनगर (नैनीताल) को नियमानुसार चुंगी तथा अन्य कोई कर देय हो तो अलग से देना होगा।

- 9- टेण्डर की स्वीकृति का आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर टेण्डरदाता को निर्धारित प्रतिबन्ध/शर्तों के अनुसार सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) से एक इकरारनामा करना होगा जिसकी भाषा का प्रारूप निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिया जायेगा। **इकरारनामा रुपये 100.00 (एक सौ रुपये) के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होगा।** इसे टेण्डरदाता स्वयं कार्यालय में आकर प्रस्तुत करेगा। इसके अभाव में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर की धनराशि जब्त कर लें और स्वीकृत टेण्डर को निरस्त कर लें।
- 10- फर्म द्वारा टेण्डर देते समय सभी वस्तुओं की दरें प्रति कुन्तल की दर से पृथक-पृथक स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में अंकित किया जाय। इस दर में **GST कर सम्मिलित न हो अन्यथा यह स्वीकार न होगा। GST की दरें प्रपत्र अनुसार पृथक से अंकित किया जाय।**
- 11- फर्म के स्वामी का प्रतिनिधि यदि माल उठाने आता है तो इस आशय का एक अधिकार पत्र एवं प्रमाण पत्र तथा फोटो युक्त प्रमाणित पहचान पत्र फर्म द्वारा देना होगा। बिना प्रमाण पत्र के माल उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 12- यदि टेण्डरदाता किसी अपरिहार्य कारणवश निर्धारित अवधि के अन्दर सम्पूर्ण माल उठाने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसके आवेदन पर वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा समयवृद्धि देने पर विचार किया जा सकता है, परन्तु इसके लिये बाध्यता नहीं होगी। समयवृद्धि प्राप्त किये ठेकेदार निर्धारित अवधि के बाद माल नहीं उठायेगा तो उसे उस पर अर्थदण्ड देना होगा जो एक रुपया प्रति कुन्तल प्रति दिन की दर से गोदाम किराये के रूप में देना होगा। यह अर्थ दण्ड अधिकतम एक माह तक ही लागू होगा। इसके बाद टेण्डर स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गई धरोहर की तथा अन्य जमा धनराशि को जब्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुनः टेण्डर आमंत्रित करने के परिणामस्वरूप हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व टेण्डरदाता पर होगा।
- 13- यदि कार्यालय के अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों में व्यस्तता के फलस्वरूप सामग्री निर्धारित अवधि के पश्चात् उठाने हेतु उपलब्ध करायी जाती है तो उस अवधि के पश्चात् स्वीकृत टेण्डर दाता माल उठाने हेतु बाध्य होगा।
- 14- निविदा की सम्पूर्ण धनराशि को अनुभाग द्वारा तुलाई प्रमाण पत्र/रसीद के अनुसार ट्रेजरी चालान के रूप में स्वीकार किया जायेगा। धनराशि जमा किये जाने हेतु चालान का लेखा शीर्षक कार्यालय द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। नकद धनराशि किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।
- 15- माल की एक ओर से तुलाई करनी होगी। कार्यालय में छाँटने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। रद्दी सामग्री बोरों (बारदाना) में भरकर ले जानी होगी। यदि किसी प्रकार की सामग्री ट्रक से गिरती है तो इसका सम्पूर्ण दायित्व निविदादाता फर्म का होगा।
- 16- परिषद कार्यालय के नामित किये गये अधिकारी/कार्मिक के सम्मुख सामग्री की तुलाई धरम कांटे में करानी होगी तथा वास्तविक भार के अनुसार सक्षम अधिकारी के रद्दी भार का प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही स्वीकृत दरों के आधार पर समस्त धनराशि तुरन्त परिषद कार्यालय में जमा करानी होगी। वस्तुओं का भार अनुमानित है, मात्रा घट-बढ़ सकती है।
- 17- फर्म/ठेकेदार परिषद कार्यालय से प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं की रद्दी, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र, कटे फटे टाट/बोरे, फोटो युक्त आवेदन पत्रों एवं अन्य रद्दी (स्वीप) को जहाँ है, जो है, जैसी है की स्थिति में उठायेगा और उसे सीधे विक्रय नहीं करेगा अपितु इनको पेपर मिल में केवल लुग्दी (पल्प) बनाने के प्रयोग में लायेगा। लुग्दी बनाने का कार्य सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा नामित किसी अधिकारी के समक्ष किया जायेगा। टेण्डर के साथ फर्म को इस आशय का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।

- 18- खादी बोर्ड को अलग से रद्दी का आवंटन नहीं किया जायेगा, अपितु खादी बोर्ड भी अन्य संस्थाओं की भांति अपना टेण्डर दे सकते हैं, उन्हें किस प्रकार की कितनी रद्दी कितनी मात्रा में चाहिये, अंकित करना होगा। यदि खादी बोर्ड का टेण्डर उस प्रकार के रद्दी हेतु अधिकतम दर से 10 प्रतिशत सीमा तक अन्तर होगा तो खादी बोर्ड को उतनी रद्दी देने पर समिति की संस्तुति पर विचार किया जा सकता है। खादी बोर्ड द्वारा धरोहर की धनराशि जमा की जायेगी तथा उन्हें उपरोक्त 10 प्रतिशत के अतिरिक्त शेष सभी प्रक्रिया की पूर्ति अन्य संस्थाओं के समान रूप से ही करनी होगी। यदि खादी बोर्ड सूचना प्राप्त होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित कोटे की सामग्री नहीं उठाते तो आवंटित कोटा रद्द कर प्रथम सफल ठेकेदार को दिया जायेगा और ऐसी अवस्था में सम्बन्धित ठेकेदार को 10 प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र फिक्स डिपॉजिट्स/बैंक ड्राफ्ट के रूप में धरोहर जमा करना होगा।
- 19- यदि पक्षकारों के मध्य निविदा सूचना अथवा अनुबन्ध पत्र या ठेके से सम्बन्धित किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है अथवा रद्दी तुलाई में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी प्रकाश में आती है तो इस प्रकार के सभी विवाद के निर्णय का अधिकार, सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) को पंच निर्णायक के रूप में होगा। उनके द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा और सम्बन्धित पक्षों को मान्य होगा।
- 20- टेण्डर सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। उन्हें किसी एक अथवा समस्त टेण्डरों को बिना कोई कारण बताये स्वीकार, अस्वीकार, स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 21- निविदादाता फर्म को निविदा आवेदन के तकनीकी एवं वित्तीय भाग के हार्ड कापी को अलग-अलग सीलबन्ध लिफाफों में रखकर तदुपरान्त दोनों लिफाफों को एक बड़े मुहरबंद लिफाफे में रखकर लिफाफे के ऊपरी भाग में प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं की रद्दी, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र, कटे-फटे टाट/बोरे, फोटोयुक्त आवेदन पत्र एवं रद्दी (स्वीप) वर्ष 2025 हेतु निविदा लिखा जाय।
- 22- फर्मों से प्राप्त तकनीकी सूचनाओं की जाँच के उपरान्त उपयुक्त सफल पाई गई फर्मों के ही द्वितीय भाग (वित्तीय सूचनाएँ) खोले जायेंगे। अनुपयुक्त पाई गई फर्मों के वित्तीय भाग नहीं खोले जायेंगे। असफल टेण्डरदाताओं की धरोहर धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
- 23- सफल टेण्डरदाता/फर्म को सभी कर/GST की धनराशि विभागीय नियमानुसार माल उठाने से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य के पक्ष में परिषद् कार्यालय में जमा कराना होगा।
- 24- फर्म द्वारा क्रय की गयी रद्दी की बिक्री उत्तराखण्ड राज्य में स्थित पेपर मिलों में ही करनी अनिवार्य होगी।
- 25- निविदादाता को ई-टेण्डरिंग में दिये गये सभी तकनीकी भाग से सम्बन्धित दस्तावेजों को स्वयं अभिप्रमाणित करके, स्कैन कर उन्हें पी0डी0एफ0 फारमेट में तैयार कर अपलोड करना होगा। वेबसाइट द्वारा जो-जो दस्तावेज माँगे जाये, कृपया उन्हें ही अपलोड किया जाय।
- 26- किसी भी विवाद के लिये न्यायालय क्षेत्र रामनगर, नैनीताल होगा।
- नोट- (i) तकनीकी एवं वित्तीय भाग की सूचनाओं के लिफाफे पृथक्-पृथक् तैयार किए जायेंगे।
(ii) लिफाफे के बाहर शीर्ष में तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग लिखा जाय।
(iii) दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे में सील्ड बन्द किया जाना अनिवार्य होगा।
(iv) धरोहर की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी भाग के लिफाफे में रखा जाय।
(v) निविदा फार्म शुल्क की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट पृथक् से लिफाफे में रखकर जमा करना होगा।
- मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने निविदा की सभी शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया है और समझ लिया है। तत्पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे यदि माल उठाने का आदेश प्राप्त होता है तो मैं उल्लिखित शर्तों के अनुसार कार्य करूंगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम-
दिनांक-


सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल।